फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र टीआई संख्या : 154/2024

उनवानः– छोटू राम बनाम नानगराम व अन्य

लगातार .....

पर आवश्यक रूप से तामील की ट्रेक रिपोर्ट पेश करें। आगामी पेशी पर तामील नही करवाने पर स्थगन आदेश यथावत रखने पर विचार किया जावेगा।

अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 30.09.2024 को पेश करे।

उक्त स्थगन आदेश सरकारी योजनाओं पर प्रभावी नहीं रहेगा।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जय

30/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते इस्तगासा तामील/ट्रेक रिपोर्ट 15/10/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

अग्रिम दि. 30/9/24

आज दि. 15/10/24 को पत्रावली पेश नहीं। अधिवक्ता बार एसोसिएशन/कार्य बहिष्कार/हड़ताल चलने के कारण, न्यायालय कार्य नहीं। पी.ओ.सा. अवकाश में चल रहा/अवकाश पर है। अतः पत्रावली दि. 22/10/24 को पेश हो।

22/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता राकेश चौधरी उपस्थित। मूलवाद के निस्तारण के प्रार्थी के 1 के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू कार्यवाही समाप्त में

सहायक कलक्टर
शहर द्वितीय, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : 154 / 2024

उनवानः– छोटूराम बनाम नानगराम

लाई जाती है। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस तौर पर सुने जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस तौर पर सुनी गई। बहस उभयपक्ष के उपरान्त मय मूलवाद सुनी जाकर प्रार्थी के निस्तारण अवलोकन किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि की संरक्षित बनाये रखना उचित पाते हैं ताकि वाद बाहुल्य न बढ़े। अतः आगे 3/9/24 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दी गई किया जाकर उभयपक्ष की सुनवाई के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा का पालन किया जावे। पत्रावली के पत्र होकर शामिल शुमार होकर इसी तरह के रूप होकर शामिल दफ्तर हो। नियमानुसार 22/10/24 की तिथि आज नियत कर इजलास बर्खास्त किया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner